

बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

पत्रांक—अ०सां०नि०/स्था०३—०७/२०२२ ६५५ /पटना, दिनांक—१३/०४/२२  
प्रेषक,

बैद्यनाथ यादव, भा०प्र०से०

निदेशक

ई—मेल

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी),

सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी,

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ।

विषय:— अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के कर्मियों का ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ स्वीकृत करने के निमित्त विहित प्रपत्र में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के कर्मियों को सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना नियमवाली, 2003 एवं रूपांतरित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना नियमावली, 2010 के तहत ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ स्वीकृत किया जाना है । इस नियमावली के तहत प्रत्येक वर्ष जुलाई एवं जनवरी में परिपक्व मामले पर स्क्रीनिंग समिति के विचारोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ स्वीकृत किया जाना है ।

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के आपके नियंत्रणाधीन सभी कोटि के कर्मियों के संबंध में विहित प्रपत्र में वांछित सूचना एवं अभिप्रमाणित सेवापुस्त की छायाप्रति तथा देय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की तिथि के पूर्व ५ (पॉच) वर्ष वार्षिक गोपनीय चरित्री पत्र निर्गत के १५ (पन्द्रह) दिनों के अंदर निश्चित रूप से उपलब्ध करायें । इसके अतिरिक्त वैसे कर्मी जो आपके कार्यालय से पूर्व में सेवानिवृत हो चुके हैं, उनके देय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के संबंध में भी अभिलेख उपलब्ध करायें । सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी अपने जिले के सभी प्रखण्डों में पदस्थापित प्रखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी के संबंध में अभिलेख प्राप्त कर भेजेंगे ।

इसके साथ ही सभी नियंत्री पदाधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र भी देंगे कि इस सूची के अतिरिक्त कोई कर्मी/सेवानिवृत कर्मी नहीं है, जिन्हें ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ देय है ।

इस संबंध में यथा आवश्यक श्री उपेन्द्र कुमार, सहायक निदेशक, निदेशालय, मुख्यालय के मोबाइल नं०—९९३४३६३९४० पर सम्पर्क कर सूचना प्राप्त कर सकते हैं ।  
अनुलग्नक—यथोक्त ।

विश्वासभाजन

निदेशक ३४/२०२२

ज्ञापांक— अ०सां०नि०/स्था०३—०७/२०२२ ६५५ /पटना, दिनांक— १३/०४/२२  
प्रतिलिपि:—सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त निदेशक  
मूल्यांकन निदेशालय/अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/अपर सचिव,  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/उप सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण  
विभाग/अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ  
एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित की अपने विभाग में पदस्थापित/सेवानिवृत,  
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के कर्मियों के संबंध में विहित  
प्रपत्र में सूचना उपलब्ध कराया जाय।

↑  
निदेशक १३/०४/२२

ज्ञापांक— अ०सां०नि०/स्था०३—०७/२०२२ ६५५ /पटना, दिनांक— १३/०४/२२  
प्रतिलिपि:—श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार,  
पटना को निदेशालय के बैब—साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

↑  
निदेशक १३/०४/२२

प्रोन्नति/ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०/सम्पुष्टि का पैनल तैयार करने हेतू

1	कर्मचारी का नाम/पदनाम
2	वर्तमान पदस्थापन/शैक्षणिक योग्यता
3	जन्म तिथि/गृह जिला/वरीयता क्रमांक
4	नियुक्ति का संद एवं तिथि
5	सेवा में प्रथम योगदान का पद एवं तिथि
6	संपुष्टि की तिथि एवं आदेश संख्या
7	विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता की स्थिति (क) हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा (ख) कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा (ग) लेखा परीक्षा (घ) अन्य
8	प्राप्त प्रोन्नति का पद एवं तिथि
9	सेवा के 12 वर्ष एवं 24 वर्ष पूरी करने की तिथि
10	सेवा के 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष पूरी करने की तिथि
11	प्राप्त ए०सी०पी० एवं उसकी तिथि
12	प्राप्त एम०ए०सी०पी० एवं उसकी तिथि
13	देय ए०एस०पी० एवं उसकी तिथि
14	देय एम०ए०सी०पी० एवं उसकी तिथि
15	विभागीय आरोप एवं विभागीय कार्यवाही की स्थिति
16	संसूचित दण्ड एवं उसकी तिथि
17	यदि किसी न्यायालय में न्यायिक कार्यवाही लबित हो तो उसका बोद संख्या एवं केस की स्थिति
18	सेवा में कोई दूट है या नहीं(यदि हूँ तो कारण सहित अवधि का उल्लेख करें।)
19	मंतव्य—प्रोन्नति/ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के योग्य है या नहीं